

11

गनपत ढोलिया, पिता कुट्टी ढोलिया, निवासी ग्राम जमुई, तहसील सोहागपुर, जिला  
शहडोल म.प्र. .... आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. नूरजहां, उम्र 70वर्ष, बेवा अब्दुल रवीद खान, निवासी ग्राम सोहागपुर,
  2. रामलली, पत्नी रामनिरंजन द्विवेदी, निवासी ग्राम जमुई, (मृत)
  3. रामनिरंजन, पिता बाबूलाल निवासी ग्राम जमुई, (मृत)
- तीनों तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल म.प्र.

..... अनावेदक/गैरनिगरानीकर्तागण

रमाव.क.नि.स.  
रा.का.वि.नां. 3-1-2-4-3- के  
सुन किया गया  
रीडर  
सर्किट कोर्ट रोवा

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा.सं.1959.

माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर  
कलेक्टर शहडोल के प्र0क्र0/47/अपील/  
2011-12 आदेश दिनांक 07.11.2013 के  
विरुद्ध।

16-4-2015

आवेदक की ओर कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण में पेशी दिनांक 13-2-2014 को आवेदक अभिभाषक को 100/- के समय के साथ कायमी पर तर्क हेतु समय प्रदान किया गया था और पेशी दिनांक 16-5-14 नियत की गई थी। उक्त दिनांक के पश्चात लगभग एक वर्ष तक आवेदक प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये हैं और न ही उनके द्वारा कास्ट की राशि जमा की गई है। अतः प्रकरण डिफाल्ट में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

9  
सदस्य

क्रमांक 24  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 4/11/14 को प्राप्त